भाग III

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(राजनैतिक शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 17 जुलाई, 2008

संख्या सा०का०नि० 17/संवि०/अनु० 243ट तथा 243य क/309/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट तथा 243य क के खण्ड (3) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग - 1 सामान्य

1. ये नियम राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2008, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम ।

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(ख) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(ग) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(घ) "सचिव" से अभिप्राय है, राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी जो सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करे;

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा (ग्रुप घ) सेवा;

(च) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग;

(छ) "राज्य निर्वाचन आयुक्त" से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट के खण्ड (1) के अधीन हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा ;

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट-क मे बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) में से किसी से सम्बन्ध रखने वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र का प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, जो उसके व्यक्तिगत जीवन से भली-भांति परिचित हों और उसके विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकरण को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सत्रह वर्ष की आयु से कम अथवा चालीस वर्ष की आयु से अधिक का न हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग,अन्य पिछड़े वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के परिशिष्ट-ग के खाना 3 में दर्शाये प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी। नियुक्ति प्राधिकारी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों में परिशिष्ट-ख के खाना 3 में और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो : योग्यताएँ।

परन्तु सीधी भर्ती के मामले में, यदि अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक तौर पर विकलांग उम्मीदवार, उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं होते तो इसका कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है।

8. सेवा में किसी पद पर कोई भी व्यक्ति,— अयोग्यताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह इस नियम को किसी भी व्यक्ति पर लागू होने से छुट दे सकता है।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,— भर्ती का ढंग।

(क) जमादार की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) सेवादारों, संदेशवाहक और स्वीपर-एवं-चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों में से स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) सेवादार की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों में से स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) संदेशवाहक की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों में से स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(घ) स्वीपर-एवं चौकीदार की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों में से स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियाँ, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा अकेली ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

परिवीक्षा। 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की और गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; अथवा

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि, उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकती है; अथवा

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; अथवा

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि, उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तें अनुज्ञात करे; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा अवधि की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार की जायेगी—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित् की जायेगी जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित् की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहली नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने बारे दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय या स्कूल या संस्था ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य, ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य, समय-समय पर यथा संशोधित, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुन: टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले आपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृति।

20. सेवा में लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व लागू हो, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	जमादार	—	1	1	रुपये 2650-65-3300-दक्षतारोध-70-4000+30/- रुपये विशेष वेतन
2.	सेवादार	—	7	7	रुपये 2550-55-2660-दक्षतारोध-60-3200+30/- रुपये विशेष वेतन
3.	संदेशवाहक	—	2	2	रुपये 2550-55-2660-दक्षतारोध-60-3200+30/- रुपये विशेष वेतन
4.	स्वीपर-एवं-चौकीदार	—	1	1	रुपये 2550-55-2660-दक्षतारोध-60-3200+65/- रुपये विशेष वेतन 200/-रुपये विशेष भत्ता

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	जमादार	हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड या किसी राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल से हिन्दी और अंग्रेजी विषयों सहित आठवीं पास।	**पदोन्नति द्वारा :** सेवादार, संदेशवाहक या स्वीपर-एवं-चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। **स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा :** किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में जमादार के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
2.	सेवादार	हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड या किसी राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल से हिन्दी और अंग्रेजी विषयों सहित आठवीं पास।	**स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा :** किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में सेवादार या संदेशवाहक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
3.	संदेशवाहक	हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड या किसी राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल से हिन्दी और अंग्रेजी विषयों सहित आठवीं पास।	**स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा :** किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में सेवादार या संदेशवाहक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
4.	स्वीपर-एवं-चौकीदार	हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड या किसी राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल से हिन्दी और अंग्रेजी विषयों सहित आठवीं पास।	**स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा :** किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में स्वीपर-कम-चौकीदार के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			1. छोटी शास्तियां—		
1.	जमादार	सचिव	(i) वैयक्तिक फाइल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	सचिव	राज्य निर्वाचन आयुक्त
2.	सेवादार		(ii) परिनिन्दा;		
3.	संदेशवाहक		(iii) पदोन्नति रोकना;		
4.	स्वीपर-मय-चौकीदार		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है, या संसद् या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली; तथा		
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियां रोकना;		
			2. बड़ी शास्तियां—		
			(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतनवृद्धियां रोकना;	सचिव	राज्य निर्वाचन आयुक्त
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी		

1	2	3	4	5	6
			ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;		
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणत: रोक होगी, ऐसा ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा;		
			(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;		
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;		
			(xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश जारी करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	जमादार	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	सचिव	राज्य निर्वाचन आयुक्त
2.	सेवादार			
3.	संदेशवाहक			
4.	स्वीपर-एवं-चौकीदार	(ii) उसकी अधिवार्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		

धर्मवीर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(POLITICAL BRANCH)

Notification

The 17th July, 2008

No. G.S.R. 17/Const./Article 243K, 243ZA & 309/2008.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (3) of article 243K and 243ZA of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Election Commission (Group D) Service, namely :—

PART–I GENERAL

Short Title.

1. These rules may be called the Haryana State Election Commission (Group D) Service Rules, 2008.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(b) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(c) "institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(d) "Secretary" means any officer appointed by the State Election Commissioner to discharge the duties and functions of the Secretary to the State Election Commission;

(e) "Service" means the Haryana State Election Commission (Group D) Service;

(f) "State Election Commission" means the State Election Commission, Haryana, constituted under article 243K of the Constitution of India;

(g) "State Election Commissioner" means the State Election Commissioner, Haryana; appointed by the Governor of Haryana under clause (1) of article 243K of the Constitution of India.

PART–II RECRUITMENT TO SERVICE

Numbers and Characcter of posts.

3. The Service shall comprise the posts in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India; or

(b) s subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India;

or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than forty years of age on the last date of submission of application to the recruiting authority :

Provided that in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Ex-servicemen, the upper age limit shall be such as may be fixed by the State Government from time to time.

Appointing Authority.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the authority shown against each post in column 3 of Appendix C to these rules.

Qualifications

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable, to the extent of 50% at the discretion of the appointing authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-serviceman and Physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after reccording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Jamadar,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by promotion from amongst Peon, Messenger or Sweeper-cum-Chowkidar; or

(iii) by transfer or deputation of an Official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Peon,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer/deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Messenger,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer/deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(d) in the case of Sweeper-cum-Chowkidar,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer/deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on senior-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointment otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service, shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local Authority or University within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) and clause (iii) except with his consent.

Pay leave, pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal)

Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, if may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

Special provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules, which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of post	Number of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Jamadar	—	1	1	Rs. 2650-65-3300-EB-70-4000+ Rs. 30/- Special Pay
2.	Peon	—	7	7	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200+ Rs. 30/- Special Pay
3.	Messenger	—	2	2	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200+ Rs. 30/- Special Pay
4.	Sweeper-cum-Chowkidar	—	1	1	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200+ Rs. 65/- Special Pay+200/-Special Allowance

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Jamadar	Middle pass with Hindi and English subjects from Haryana State Education Board or a school recognized by any State Education Board.	**By promotion —** Five years experience as Peon, Messenger or Sweeper-cum-Chowkidar **By transfer/deputation—** One year experience as Jamadar in any State Government or the Government of India.
2.	Peon	Middle pass with Hindi and English subjects from Haryana State Education Board or a school recognized by any State Education Board.	**By transfer/deputation —** One year experience as Peon/ Messenger in any State Government or the Government of India.
3.	Messenger	Middle pass with Hindi and English subjects from Haryana State Education Board or a school recognized by any State Education Board.	**By transfer/deputation —** One year experience as Peon/ Messenger in any State Government or the Government of India.
4.	Sweeper-cum-Chowkidar	Middle pass with Hindi and English subjects from Haryana State Education Board or a school recognized by any State Education Board.	**By transfer/deputation —** One year experience as Sweeper-cum-Chowkidar in any State Government or the Government of India.

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of post	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
			Minor Penalties		
1.	Jamadar 2. Peon 3. Messenger 4. Sweeper-cum Chowkidar	Secretary	(i) warning with a copy on the personal file (character roll); (ii) withholding of promotion; (iii) censure; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government, or to a company and association or State Government or a body of individuals whether incorporated or not, which is substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of State; and (v) withholding of increment of pay without cumulative effect;	Secretary	State Election Commissioner
			Major Penalties		
			(vi) withholding of increment of pay without cumulative effect;	Secretary	State Election Commissioner
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with		

1	2	3	4	5	6
			further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;		
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service, from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;		
			(ix) compulsory retirement;		
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;		
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX D

(See rule 14(2))

Sr. No.	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Jamadar	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Secretary	State Election Commissioner
2.	Peon			
3.	Messenger			
4.	Sweeper-cum-Chowkidar	(ii) terminating the appointment otherwise than upon his attaining the age fixed for superannuation.		

DHARAM VIR,
Chief Secretary to Government Haryana,
Chandigarh.

44493—L.R.—H.G.P., Chd.